25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

25000 25000

0333 785630

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रु0 7,28,003/-
बाजारी मूल्य : रु0 [illegible]
स्टाम्प शुल्क : रु0 72,800/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख चुर्के पुत्र खुशाल निवासी–ग्राम मुजफ्फर नगर खुजाला, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उप निबन्धक (प्रथम)

25000 भारत 25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

-2-

[जिन्हें आगे] विक्रेता कहा गया है, एवम् सुरेन्द्र उर्फ मोती लाल पुत्र शिवराम कोरी निवासी–ग्राम मिर्जापुर सिठौलिया, पोस्ट–नौगवाँ, जिला–फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा 133 रकबा 0.251 हेक्टेयर के 1/3 भाग अर्थात ~~0.0837~~ 0.1154 हेक्टेयर व खसरा नं0 253 रकबा 0.376 हेक्टेयर व कुल रकबा ~~0.4597~~ 0.4913 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सम्पत्ति सहआधिक

[illegible]

उप निबन्धक [illegible]

श्रीमती [illegible]

[illegible]

उप निबन्धक (प्रथम)

उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

- 1 -

उक्त खतौनी का संख्या 47 व 43 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विलेख विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे कुछ विलेख के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रु0 1,28,000/- (एक लाख अट्ठाइस हजार रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

तदनुसार तथा विक्रेता उक्त क्रेता के हक अंकित वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बराई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व

500 Rs 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

- 6 -

कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या कब्जा से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की ज़ात, अन्य सम्पत्ति से ज़रिये अदालत वसूल कर ले।

१००रु Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES



स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES Rs 100

8 SEP 2004

- 8 -

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति [illegible] ग्राम [illegible] नगर [illegible], अर्न्तनगरीय क्षेत्र के चिन्हित ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि [illegible] हेक्टेयर की मालियत रू0 [illegible] होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 [illegible],200/- अंकन स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के प्रायोजन के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्न्तगत में [illegible]

55165[illegible]

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES
₹100



कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विलेख विलेख की निष्पादन का खर्चा व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट : विक्रय विलेखयुक्त सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा 133 रकबा 0.251 हेक्टेअर के 1/2 भाग अर्थात 0.1255 हेक्टेअर व खसरा नं0 253 रकबा 0.376 हेक्टेअर व कुल रकबा 0.5015 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना - बिजनौर, तहसील व जिला - लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

*खसरा नं0 133 रकबा 0.251 हेक्टेअर*

पूरब : खसरा संख्या- 249, 251 व 252
पश्चिम : खसरा संख्या- 137
उत्तर : खसरा संख्या- 361
दक्षिण : खसरा संख्या- 135

*खसरा नं0 253 रकबा 0.376 हेक्टेअर*

पूरब : खसरा संख्या-254
पश्चिम : खसरा संख्या-249 व 251
उत्तर : खसरा संख्या-245 व 246
दक्षिण : खसरा संख्या-256

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रूपया 6,37,000/- (छः लाख सैंतीस हजार मात्र) द्वारा पे आर्डर संख्या- दिनांकित .10.2004 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर, लखनऊ व रूपया 91,000/- (रुपया इक्यानबे हजार मात्र) द्वारा चैक प्राप्त किये। इस प्रकार विक्रेता को कुल रू0 7,28,000/- (सात लाख अट्ठाइस हजार

(कब्जा) क्रेता को प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करती है।

नोट

1. यह कि पृष्ठ संख्या-1 में [illegible] 'बाजारू मूल्य' को [illegible] 5,51,660/- किया गया है।
2. यह कि पृष्ठ संख्या-2 की लाईन 5 में शब्द '25' को '22' एवं लाईन 6 में शब्द '1.034' को '[illegible]' एवं लाईन 7 में '2.460' को '2.5035' तथा पृष्ठ 8 की लाईन 4 में '0.460' को '0.5035' एवं [illegible] लाईन में शब्द '5,46,880/-' को [illegible] काटकर '5,51,660/-' किया गया है।

लखनऊ

दिनांक: 20.10.2004

गवाह

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकार

विनोद [illegible] सिंह,

एडवोकेट

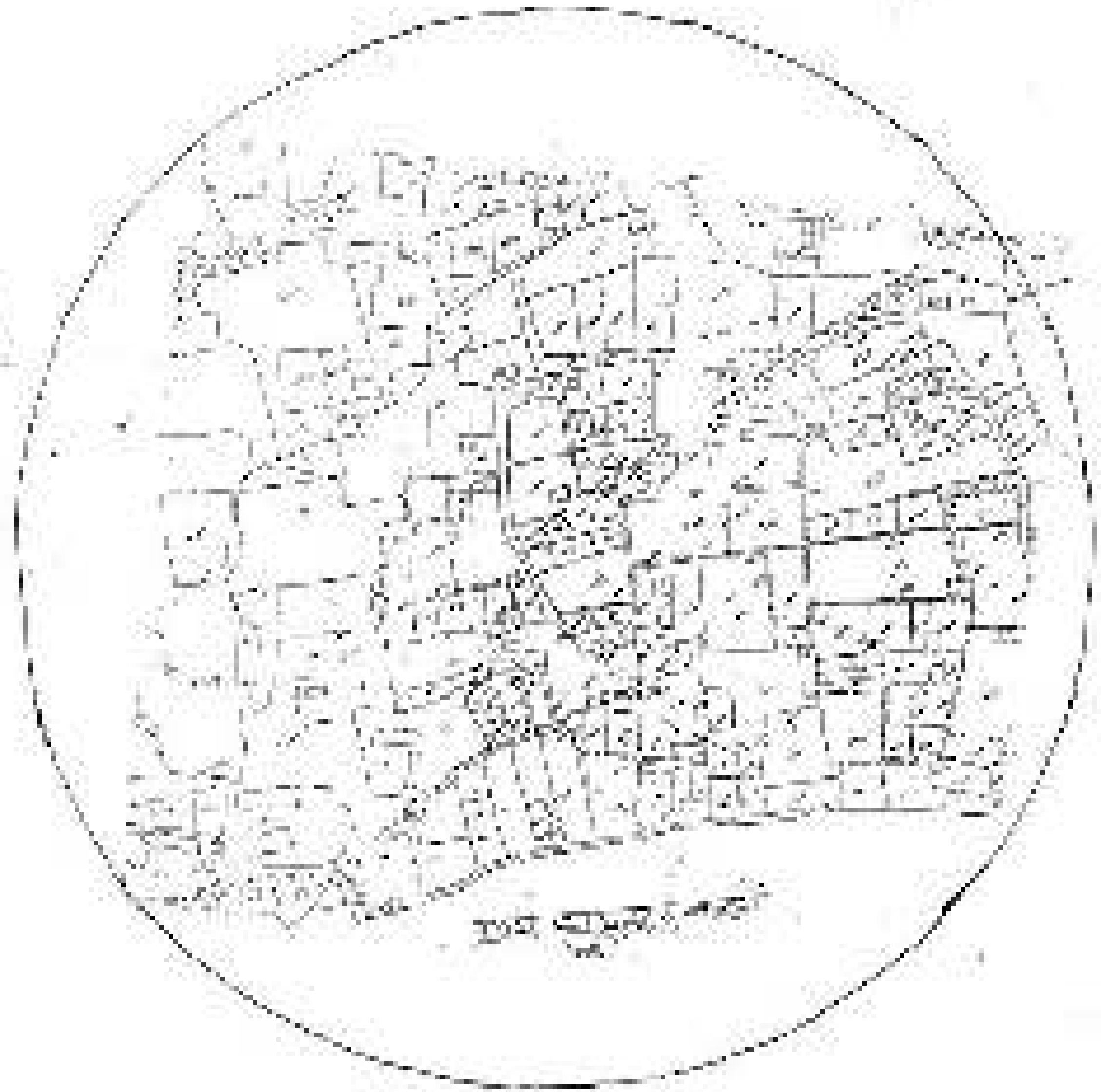

# रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

विक्रेता/निष्पादक का नाम व पता :-

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

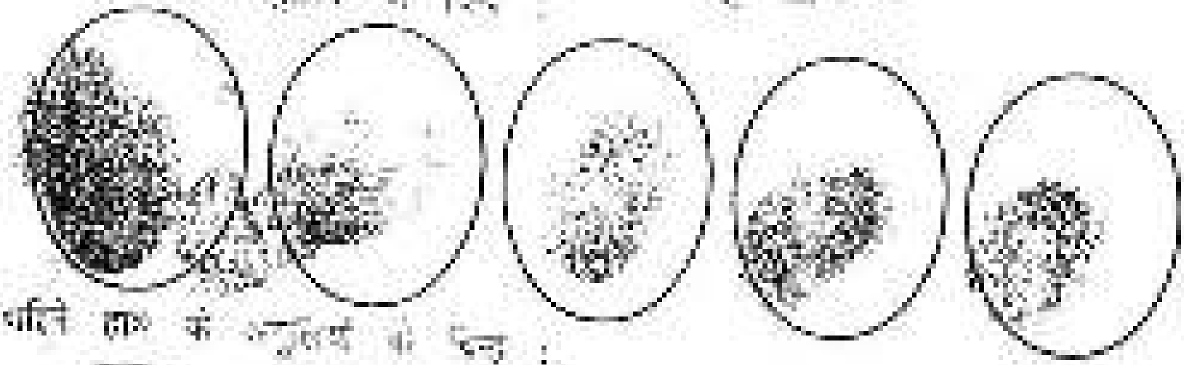

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

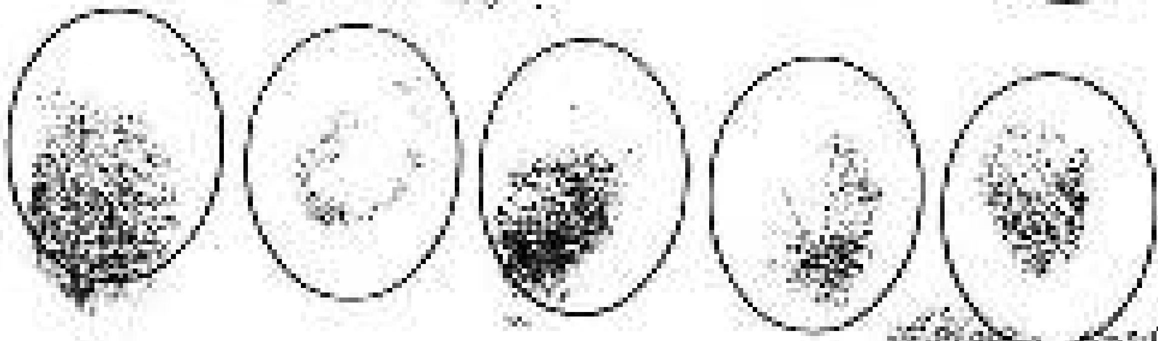

विक्रेता/निष्पादक के हस्ताक्षर

क्रेता/निष्पादक का नाम व पता :-

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

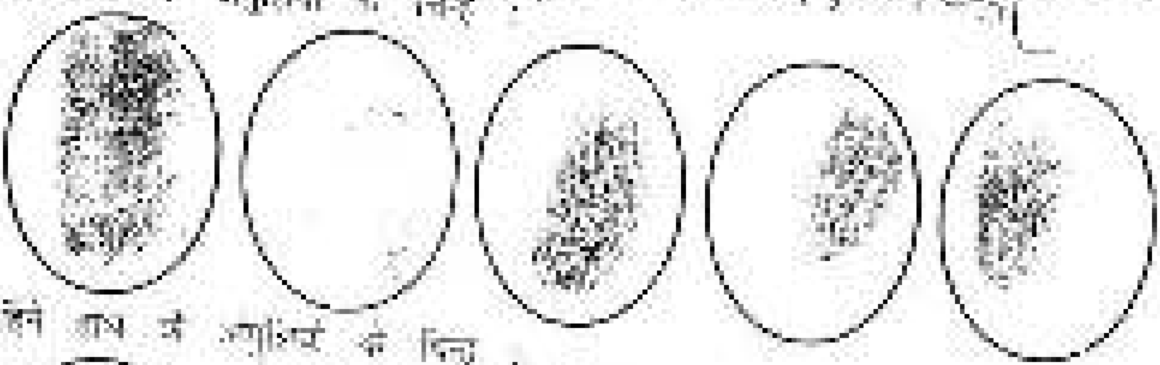

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

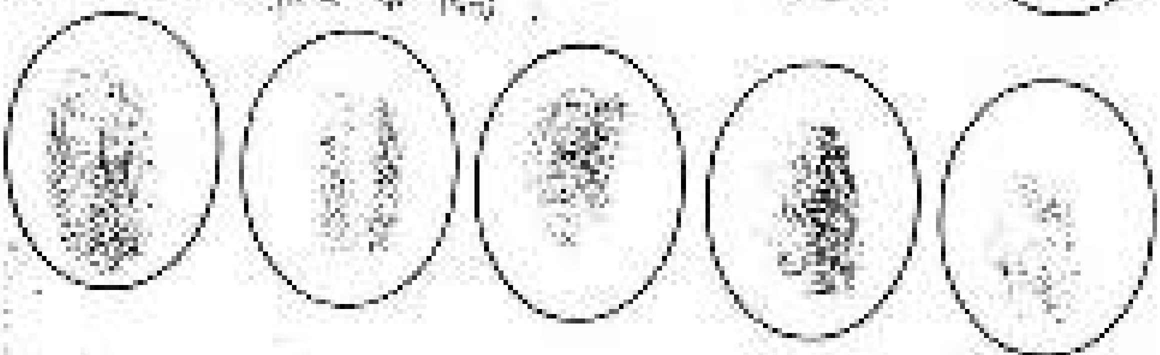

अधिवक्ता के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]